

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, गुरुवार, सितम्बर 8, 1983/भाद्र 17, 1905
No. 153] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 1983/BHADRA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 36/ई.टी.सी.(पी.एन.)/83

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1983

विषय :—1-1-1983 से 31-12-1983 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक
समूह के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा को
तैयार वस्त्र और बूने हुए वस्त्रों का कुल सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन
निर्यात के लिए योजना ।

सं. 2/54/82-ई.—यह सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचना सं. 40-ईटीसी
(पी.एन)/82, दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 और सार्वजनिक सूचना सं. 37-ई टी सी
(पी.एन)/82, दिनांक 18 सितम्बर, 1982 के क्रम में है । भूतकालीन निष्पादन

हकदारी के साथ एक नियतिक पहले आए सो पहले पाए के अधीन लघु आवेदन पत्रित के लघीन आवेदन करने के लिए केवल उन्हीं मामलों में पात्र होगा जिसमें हकदारी का एक भाग (सम्बद्ध देश/श्रेणी के लिए) उपयोग में लाया गया है और भर्त्ता कि बाकी को पूर्ण रूप से अभ्यर्पित कर दिया जाता है ।

सर्वेचित्त सूचना सं. 37-ईटीसी(पीएन)/82, दिनांक 18 सितम्बर, 1982 की कटिक्का 6(v) सक्षमर संशोधित की जाती है ।

आनन्द सरूप, उपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 36-ETC(PN)|83

New Delhi, the 8th September, 1983

Subject.—Scheme for exports under OGL : 3 of garments and knitwear to USA, EEC member-States, Austria, Sweden, Finland and Canada from 1-1-1983 to 31-12-1983.

F. No. 2|54|82|EI.—This Public Notice is in continuation of Public Notice No. 40-ETC(PN)|82 dated 21st December, 1982 and Public Notice No. 37-ETC(PN)|82 dated 18th September, 1982. An exporter with Past Performance Entitlement will be eligible for applying under the First-Come-First-Served Small Orders System in case only a part of the entitlement (for the relevant country|category) has been utilised, provided the balance is surrendered in full.

Para 6(v) of Public Notice No. 37-ETC(PN)|82 dated 18th September, 1982 is amended accordingly.

ANAND SARUP, Addl. Secy.